न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 180 / 2015 / दावा

1. मोहनलाल खेदड़ पुत्रश्री गोपीराम खेदड़ आयु 45 साल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिलासीकर हाल निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—वादी

ब ना म

1. जोधाराम मंगवा पुत्रश्री मागूराम आयु 60 साल जाति जाट निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
3. पटवारी, पटवार हल्का, खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
4. उप पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर
5. तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर
6. मोहनीदेवी आयु 50 साल धर्मपत्नी स्व. श्री ओंकारमल मुवाल जाति जाट नि. 4, मांडल टाउन, वार्ड नं. 35 जयपुर तहसील व जिला जयपुर
7. कमलादेवी आयु 46 साल धर्मपत्नी श्री गीगराज मुवाल जाति जाट नि. ग्राम वार्ड नं. 15 खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
8. विमलादेवी धर्मपत्नी श्री सागरमल मुवाल जाति जाट निवासी 587, मालवीयनगर, सैक्टर 2 वार्ड नं. 26 जयपुर तहसील मालवीयनगर जिला जयपुर

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति—

1. श्री बेगाराम वकील वादी की ओर से
2. श्री सुरेन्द्रपाल धायल वकील प्रतिवादी सं. 6 ता 8 की ओर से

निर्णय दिनांक 23.11.2015

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादग्रस्त खाता सं. 298 खसरा नं. 3124 रकबा 2.52 है0 ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें 1/2 हिस्सा वादी एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज चला आ रहा है एवं इसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त हैं वाद पत्र की मद सं. 1 में वर्णित विवादित आराजियात संयुक्त अविभाजित कृषि भूमियां है जिनका मौके पर कोई बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है पक्षकारान अंदाज से ही कभी शामिल

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

हमने दिनांक 06.10.2015 को क्रय कर लिया है तथा विधिवत रूप से उप पंजीयक, दांतारामगढ से यहां विधिवत विक्रय पत्र तस्दीक करवा लिया है। प्रस्तुत प्रकरण उद्घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का होने से अब उक्त जोधाराम का नाम हजफ कर उसके स्थान पर हमें बतौर प्रतिवादी सं. 1/1 ता 1/3 के रूप में पक्षकार संयोजित किया जावें। उक्त आवेदन पर वकील वादी के अनापति किये जाने पर आवेदन अ.आदेश अंतर्गत 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 6 ता 8 के रूप में पक्षकार संयोजित किया जाता है। संशोधित शीर्षक पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। वकील वादी ने प्रतिवादी सं. 2 ता 5 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहने का निवेदन किये जाने पर प्रतिवादी सं. 2 ता 5 का नाम हजफ किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 6 ता 8 ने जरिये वकील राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र की मद सं. 1 में वर्णित विवादित आराजी में वादी का 1/2 हक हिस्सा व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 जोधाराम का था। उक्त भूमियों में पश्चिम दिशा की तरफ 1/2 हिस्से की आराजी वादी मोहन लाल खेदड़ के हिस्से में आई हुई है तथा इसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं उक्त भूमियों के पूर्व दिशा की तरफ 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 जोधाराम मंगवा के हिस्से में आया हुआ था जिसमें अपना संपूर्ण हिस्सा प्रतिवादी मोहनीदेवी, कमलादेवी, विमलादेवी को विक्रय कर दिया है, का रहेगा। खसरा नं. 3124/1 रकबा 1.26 है. जिसे राजीनामा के संलग्न नक्शा में बरंग लाल से दर्शित किया है वादी के हक व हिस्से में रहेगा व खसरा नं. 3124/2 रकबा 1.26 है. जिसे संलग्न नक्शा में बरंग हरे दर्शित किया है को प्रतिवादी सं. 6 ता 8 के हक हिस्से में रहेगा। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण का राजीनामा तस्दीक मद सं. 3 के अनुसार अंतिम डिक्री जारी कर राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेश में अमल दरामद किया जाना प्रार्थनीय है जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया।

3. बहस उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषणगण की सुनी गई। वकील वादी ने बहस के दौरान वाद के तथ्यों एवं राजीनामा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नं. 3124 रकबा 2.52 है0 में 1/2 हिस्सा वादी का है जिसका खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावें एवं मुताबिक राजीनामा खसरा नं. 3124/1 रकबा 1.26 है0 संलग्न नक्शा में बरंग लाल से दर्शित किया है वादी को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावें व वकील प्रतिवादी सं. 6 ता 8 के योग्य अभिभाषकगण ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रतिवादी सं. 1 जोधाराम का संपूर्ण हिस्सा 1/2 दिनांक 06.10.2015 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया गया है एवं मुताबिक राजीनामा खसरा नं. 3124/2 रकबा 1.26 है0 जिसे संलग्न नक्शा में बरंग हरे दर्शित किया है, प्रतिवादी सं. 6 ता 8 को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावें, तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

अधिकारी, दांतारामगढ

तो कभी अलग अलग काश्त करते चले आ रहे है। वादी ने प्रतिवादी सं. 1 से उक्त विवादित आराजियात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विधिवत बंटवारा करवाने का आग्रह किया जिस पर पहले तो प्रतिवादी सं. 1 वादी को आश्वासन देता रहा, परन्तु अब प्रतिवादी सं. 1 के मन में बेईमान आ गई एवं विधिवत बंटवारा करवाने से इंकार हो गया है इसलिए प्रस्तुत दावा बाबत बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विधिवत बंटवारा का पेश किया जा रहा हैं। बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जाकर वादी को उसके 1/2 हक हिस्से का सेपरेट खातेदार उद्घोषित किया जाकर अलग अलग खसरा नंबर व लगान निधारित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमल दरामद किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। उक्त संयुक्त खातेदारी की आड़ में वादी को उसके हक हिस्से से बलात् बेदखल कर अच्छी एवं उपजाऊ जमीन पर कब्जा करने, नव निर्माण करने एवं किसी अन्य को बिना विधिक बंटवारा करवाये ही रहन, बेचान एवं हस्तांतरित करने पर आमादा है जिसका उसे कोई कानूनी हक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना आवश्यक है। वाद कारण दिनांक 25.10.2015 को प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादी को उक्त विवादित आराजी का विधिवत बंटवारा करने से इंकार होने तथा बिना बंटवारा करवाये दीगर व्यक्तियों को हस्तांतरण की धमकी दिये जाने पर उत्पन्न हुआ जो कि निरंतर क्षण प्रतिक्षण चालू है। प्रतिवादी सं. 2 यहां भूमियां रहन होने तथा प्रतिवादी सं. 3 रिकार्ड संधारक होने तथा प्रतिवादी सं. 4 पंजीयन प्रलेख प्राधिकारी होने तथा प्रतिवादी सं. 5 को भूमिधारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। अंत में यह इश्तदुआ चाही है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वाद की मद सं. 1 में वर्णित विवादित आराजी ख.नं. 3124 रकबा 2.52 है0 वाके ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के मध्य विधिवत बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विधिवत बंटवारा किया जाकर वादी को उसके 1/2 हिस्से का सेपरेट खातेदार घोषित कर अलग अलग ख.नं. व लगान निर्धारित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना प्रार्थनीय है। वाद पत्र की मद सं. 1 में वर्णित विवादित आराजी को बिना विधिवत बंटवारा करवाये किसी अन्य को रहन, बेचान एवं हस्तांतरित करने एवं वादी के हक हिस्से में दखलंदाजी करने तथा उक्त ाराजी को खुर्द बुर्द करने एवं नव निर्माण करने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

2. वाद पत्र पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 जोधाराम स्वयं हाजिर। वकील वादी के दिनांक 18.11.2015 को मिसल तलबी का आवेदन पेश होने पर प्रस्तुत हुई। प्रार्थीयागण मोहनीदेवी आदि ने आवेदन अं.आदेश 1 नियम 10 सीपीसी जरिये वकील श्री सुरेन्द्रपाल धायल पेश कर निवेदन किया कि उनवानी प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 जोधाराम से विवादित भूमि ख.नं. 3124 रकबा 2.52 है. में हि. 1/2 संपूर्ण

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम खाटूश्यामजी प.मंडल खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबंदी संवत् 2067–70 खाता सं. 298 के खसरा नं. 3124 रकबा 2.54 है0 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी वादी व प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त खातेदारी की भूमियां साबित है एवं वादी का हिस्सा 1/2 एसबीबीजे शाखा खाटू के रहन है एवं प्रतिवादी सं. 1 ने अपने हिस्से की संपूर्ण भूमियां प्रतिवादी सं. 6 व 8 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.10.2015 बेचान कर दिया गया है न्यायालय हाजा द्वारा स्थगन होने से रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हो सका है चूंकि क्रेतागण को पक्षकार संयोजित किया जा चुका है तथा वादी एवं क्रयकर्ता प्रतिवादी सं. 6 ता 8 द्वारा राजीनामा पेश कर खसरा नं. 3124/1 रकबा 1.26 है0 संलग्न नक्शा बरंग लाल वादी के हक व हिस्से में माना है तथा खसरा नं. 3124/2 रकबा 1.26 है0 ब.हि.ब. संलग्न नक्शा बरंग हरा प्रतिवादी सं. 6 ता 8 के हक व हिस्सा में माना है, राजीनामा बाद तस्दीक शामिल मिसल हो चुका है। विक्रय पत्र दिनांक 06.10.2015 अनुसार नियमानुसार ना.करण तस्दीक करने एवं राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है ग्राम खाटूश्यामजी प.मंडल खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के खसरा नं. 3124/1 रकबा 1.26 है0 का वादी (वादी का हिस्सा एसबीबीजे शाखा खाटू के रहन रहेगा) एवं खसरा नं. 3124/2 रकबा 1.26 है0 ब.हि.ब. का प्रतिवादी सं. 6 ता 8 को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। संलग्न नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 23.11.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

डिकरी व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

इजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आरएएस

मोहनलाल खेदड़ बनाम जोधाराम मंगवा आदि

दावा बाबत उद्घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 180/दावा/2015 निर्णय दिनांक 23.11.2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू जगदीश प्रसाद गौड़ आरएएस बहाजरी श्री बेगाराम वकील मिनजानिब मुद्दई श्री सुरेन्द्रपाल धायल मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है ग्राम खाटूश्यामजी प.मंडल खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के खसरा नं. 3124/1 रकबा 1.26 है0 का वादी (वादी का हिस्सा एसबीबीजे शाखा खाटू के रहन रहेगा) एवं खसरा नं. 3124/2 रकबा 1.26 है0 ब.हि.ब. का प्रतिवादी सं. 6 ता 8 को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। संलग्न नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज ________ मुबलिग____ बाबत ______ खर्चा इस मुकद्मे के मय शूद व शरह ____ फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक ____________ को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 नवम्बर, 2015 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत

ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकायलतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक	2	00
मुतफर्रिक	6	00			
मीजान	13	00	मीजान	3	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 180 / 2015 / दावा

1. मोहनलाल खेदड़ पुत्रश्री गोपीराम खेदड़ आयु 45 साल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिलासीकर हाल निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–वादी

ब ना म

1. जोधाराम मंगवा पुत्रश्री मागूराम आयु 60 साल जाति जाट निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
3. पटवारी, पटवार हल्का, खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
4. उप पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर
5. तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर
6. मोहनीदेवी आयु 50 साल धर्मपत्नी स्व. श्री ओंकारमल मुवाल जाति जाट नि. 4, मांडल टाउन, वार्ड नं. 35 जयपुर तहसील व जिला जयपुर
7. कमलादेवी आयु 46 साल धर्मपत्नी श्री गीगराज मुवाल जाति जाट नि. ग्राम वार्ड नं. 15 खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
8. विमलादेवी धर्मपत्नी श्री सागरमल मुवाल जाति जाट निवासी 587, मालवीयनगर, सैक्टर 2 वार्ड नं. 26 जयपुर तहसील मालवीयनगर जिला जयपुर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति–

1. श्री बेगाराम वकील वादी की ओर से
2. श्री सुरेन्द्रपाल धायल वकील प्रतिवादी सं. 6 ता 8 की ओर से

निर्णय दिनांक 23.11.2015

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ